



Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 31-2021/Ext.]

चण्डीगढ़, सोमवार, दिनांक प्रथम मार्च, 2021
(10 फाल्गुन, 1942 शक)

विधायी परिशिष्ट

क्रमांक	विषय वस्तु	पृष्ठ
भाग I	अधिनियम कुछ नहीं।	
भाग II	अध्यादेश कुछ नहीं।	
भाग III	प्रत्यायोजित विधान अधिसूचना संख्या सा०का०नि० 5/संवि०/अनु० 320/2021 दिनांक 01 मार्च, 2021— हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) संशोधन विनियम, 2021 का प्रकाशन बारे। (प्राधिकृत अंग्रेजी अनुवाद सहित)	189—190
भाग IV	शुद्धि—पच्ची, पुनः प्रकाशन तथा प्रतिस्थापन कुछ नहीं।	

भाग—III**हरियाणा सरकार****कार्मिक विभाग****अधिसूचना**

दिनांक प्रथम मार्च, 2021

संख्या सांका०नि० 5/संवि०/अनु० 320/2021.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1973, को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. ये विनियम हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) संशोधन विनियम, 2021, कहे जा सकते हैं।
2. हरियाणा लोक सेवा आयोग (कृत्यों की परिसीमा) विनियम, 1973 में, अनुसूची क में, मद (141) तथा उसके सामने प्रविष्टियों के पश्चात्, अन्त में, निम्नलिखित मद तथा उसके सामने प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएगी, अर्थात् :-

“(142) सिविल विमानन विभाग में वेतन एफ.पी.एल.- 20, सैल-1 = ₹182200/- में वरिष्ठ कार्यकारी पायलट का एक पद ।

(143) स्वास्थ्य विभाग हरियाणा में एफ.पी.एल.- 12, सैल-1 = ₹ 78800/- में वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी (एच.सी.एम.एस-1) के 116 पद ।”।

विजय वर्धन,
मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार ।

HARYANA GOVERNMENT**PERSONNEL DEPARTMENT****Notification**

The 1st March, 2021

No. G.S.R. 5/Const./Art. 320/2021.— In exercise of the powers conferred by the proviso to clause (3) of article 320 of the Constitution of India, the Governor of Haryana hereby makes the following regulations further to amend the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, namely:-

1. These regulations may be called the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Amendment Regulations, 2021.

2. In the Haryana Public Service Commission (Limitation of Functions) Regulations, 1973, in Schedule A, after item (141) and entries thereagainst, the following items and entries thereagainst shall be added at the end, namely:-

“(142) One post of Senior Executive Pilot in the Civil Aviation Department in FPL-20, Cell-1= Rs. 182200/-.

(143) 116 posts of Senior Medical Officer (HCMS-I) in Health Department in FPL-12, Cell-1= Rs. 78800/-.”.

VIJAI VARDHAN,
Chief Secretary to Government, Haryana.